

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक-5 एवं एकलव्य भवन

उपायुक्त (प्रशिक्षण, क्वालिटी, आर.ई.आई, शोध) कार्यालय-मुख्य भवन ब्लॉक-6, प्रथम तल,

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन -2706069,

E-mail : rddrei@gmail.com

क्रमांक:-रा.स्कू.शि.प./जय/NAS/2020-21/ 16940

दिनांक 11/12/2020

1. संयुक्त निदेशक
समस्त शिक्षा संभाग राजस्थान
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय : NAS 2021 (12 नवम्बर) हेतु शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि के प्रयास किये जाने बाबत।

संदर्भ : स्कूल एवं भाषा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का पत्र क्रमांक 19-4/2019-IS-8
दिनांक 28.10.2020

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि स्कूल एवं भाषा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में विद्यार्थियों का नेशनल एचीवमेंट सर्वे 12 नवम्बर 2021 में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। NAS के परिणामों के आधार पर राज्यों की शैक्षिक गुणवत्ता का आंकलन किया जायेगा।

अतः आप अपने अधीनस्थ सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों, नोडल प्रभारी प्रधानाध्यापकों एवं समस्त पर्यवेक्षण अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे कार्य पुस्तिकों एवं स्माइल कक्षाओं के अधिकतम उपयोग के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु कार्य योजना बनाकर प्रयास करें ताकि नेशनल एचीवमेंट सर्वे 2021 में राज्य के बच्चों का लर्निंग लेवल अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर हो सकें।

स्मरण रहे कि NAS में जिले का लर्निंग लेवल गत NAS 2017 की तुलना में बेहतर रह सके इसके लिये Covid-19 की परिस्थितियों के मध्य नजर अधिक प्रयासों की आवश्यकता रहेगी। अतः वर्तमान से ही कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

www.rajteachers.com

(डॉ. भँवर लाल)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक: रा.प्रा.शि.प./जय/शोध/NAS/2020/ 16940

दिनांक 11/12/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, निदेशालय बीकानेर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम एवं द्वितीय) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक आरएससीआईआरटी, उदयपुर।
6. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. प्राचार्य डाइट, समस्त जिले।
8. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्य हेतु शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिये वर्तमान सत्र से ही प्रयास करें इस हेतु समय-समय पर समीक्षा बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक, पीईईओ एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संदर्भ में विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल सुधारने हेतु आवश्यक प्रयास किया जाना सुनिश्चित करें।
10. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक I